

मध्यप्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल-462004
क्रमांक एक 20-29/2007/दो-ए(3) भोपाल, दिनांक 20/8/2007
प्रति,

समस्त विभाग,
समस्त अपर मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख सचिव, / **मन्त्री**,
समस्त अपर सचिव,
समस्त विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,
समस्त उप सचिव,
समस्त अवर सचिव,
मध्य प्रदेश मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल.

विषय:- मंत्रालय पूल के शासकीय दूरभाष के दुरुपयोग पर पाबंदी हेतु व्यवस्था ।
000

शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं, कि मंत्रालय पूल के शासकीय दूरभाषों के दुरुपयोग पर पाबंदी लगाने तथा मन्त्रिगण-अधिकारीगण को सुगमता से दूरभाष उपलब्ध कराये जाने के लिये निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

- (1) शासकीय दूरभाष स्थापित होते ही उसके स्थानांतरित होने की सूचना दिनांक सहित सबंधित अधिकारी अपने हस्ताक्षर से गृह (सामान्य) विभाग को 15 दिन में देंगे । माननीय मन्त्रिगण के मामले में यह सूचना उनके निज सचिव द्वारा दी जावेगी ।
- (2) शासकीय अधिकारियों के कार्यालय एवं निवास स्थित दूरभाष देयकों का सत्यापन स्वयं अधिकारी द्वारा किया जाएगा । मान0 मन्त्रिगण के मामले में यह सत्यापन उनके निज सचिव द्वारा किया जाएगा ।
- (3) मान0 मन्त्रिगण के पद त्याग करने के साथ ही उनके निज सचिव का यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि वे माननीय मन्त्रिगणों के कार्यालय निवास एवं मंत्रालय स्थित कक्ष के समस्त देयक प्राप्त करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा में उन्हें सत्यापित कर भुगतान हेतु मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय को भेजेंगे ताकि लेखा शाखा द्वारा निर्धारित समय-सीमा में उनका भुगतान किया जा सकें एवं अनावश्यक सरचार्ज के वित्तीय भार से बचा जो सकें । पद त्याग करने के समय तक के देयक यदि आद में प्राप्त होते हैं, तो भी देयकों का सत्यापन करने एवं भुगतान कराने का उत्तरदायित्व सबंधित निज सचिव का होगा ।

निरन्तर.....

(2)

- (4) अधिकारी के स्थानांतरित / सेवामुक्त होने पर उनका यह व्यवितरणत दायित्व होगा कि वे कार्यालय तथा निवास के लिए उपयोग किये गये शारांशीय दूरभाष के समस्त देयक प्राप्त कर, समस्त देयकों का सम्पादन कर तथा मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय को निर्धारित समय-सीमा के पुर्व प्रेषित कराना। सुनिश्चित करें, ताकि लेखा शाखा द्वारा निवारित समय-सीमा में द्रासान किया जा सके एवं सारचार्जे तथा रिनेवेशन चार्ज के अनावश्यक वित्तीय भार तो बचा जा सके। स्थानांतर होने के पश्चात यादे उसे अवाभ कर, जिस अवाभ में अधिकारी कार्यरत रहा है, देयक प्राप्त होते हैं तो यह संबंधित (यदि आप नहीं होते हैं, तो छल्लीफेट आपा करें) अधिकारी या सचिव का उत्तरदायित्व होता है कि वे देयक सत्यापित करकर भुगतान हेतु लोखा साला, गंतात्मण में अविवाही रूप से जमा करायें। अधिकारी के सेवानामवृत्त होने पर सबलेवृत्त ने पूर्ण के देयक यदि सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त हुए हैं, तो यह संबंधित अधिकारी के निज सचिव का दायित्व होगा कि देयक सत्यापित करें तथा लेखा शाखा, मंत्रालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

- (5) माना० मन्त्रिगण के पदमुक्त होते ही उनके निज सचिव का यह दायित्व होगा कि वे निवास स्थित दूरभाषों की समस्त सुविधाएँ डायनामिक लॉक करें तथा दूरभाष का उपयोग न होने दें। उपकरण दूरसंचार कार्यालय में जमा करें तथा दूरसंचार विभाग की पावती की छाया प्रति सहित इसकी सूचना गृह (सामान्य) विभाग को दें। सेवामुक्त/स्थानांतरित अधिकारी का दायित्व भी ऐसा ही होगा। यदि उपकरण ५ दिन के अंदर जमा नहीं कराया जाता है, तो उसके बदले में प्रदाय किये जाने वाले नवीन उपकरण का मूल्य संबंधित पूर्ववर्ति अधिकारी अथवा यथास्थिति, माननीय मंत्री के निज सचिव के बेतन से अथवा उन्हें शासन द्वारा देय अन्य राशि से वसूल किया जा सकेंगा।

- (6) जिस विनाक को स्थानांतरित / सेवामुक्त अधिकारी अपना कार्यभार रखौं, उसी दिनांक से संबंधित अधिकारी का यह व्यवितरणत उत्तरदायित्व होगा कि वे उनके कार्यालय एवं निवास में स्थापित दूरभाष का उपयोग नहीं करें तथा कार्यालय स्थित दूरभाष की समस्त सुविधाओं को डायनामिक लॉक करें और निवास के दूरभाष के मानले में भी वे डायनामिक लॉक कर दूरभाष कार्यालय से सीधे संपर्क कर दूरभाष विच्छेद करायें। यदि ऐसा न कर, कार्यमुक्त होते के दिनांक के पश्चात भी वे शासकीय दूरभाष का उपयोग करते हैं, तो उसके देयक की संपूर्ण राशि उन्हें स्वयं बहन करनी होगी तथा उनके द्वारा भुगतान न किये जाने की स्थिति में यह राशि उनके बेतन अथवा शासन द्वारा उन्हें देय अन्य राशि से वसूल की जायेगी। माननीय मन्त्रिगण के मानले में यह प्रक्रिया उनके निज सचिव के लिये लागू होगी।

- (7) मंत्रालय ने पदस्थ प्रत्येक अधिकारी के स्थानांतर/सेवामुक्त संबंधी आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गृह (सामान्य), विभाग तथा लेखा शाखा (दूरभाष कक्ष) मंत्रालय को अनिवाय रूप से दी जाए। स्थानांतरित

(3)

अधिकारी का अंतिम वेतन प्रमाणपत्र तभी जारी किया जाए जबकि संबंधित अधिकारी संलग्न प्रारूप में दूरभाष सुविधा विच्छेद संबंधी प्रमाण-पत्र सामान्य प्रशासन विभाग में प्रस्तुत करें। सेवामुक्त अधिकारी के मामले में उनके पेशन प्रकरण को अंतिम रूप देते समय ऐसा ही प्रमाण पत्र उनसे लिया जाए। प्रातःनीय मन्त्रिगण के मामले में इसी प्रकार का प्रमाण पत्र उनके निज सचिव को सातनीय मन्त्रिगण के पदमुक्त होने पर देना होगा, अन्यथा उनके अगले माह का वेतन रोक दिये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी। कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

स्थ्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजय दुबे)
सचिव
गृह (सामान्य) विभाग

पृ०क०/२०-२९/०७/दो ए (3)

भोपाल दिनांक- २०/७/००

प्रतिलिपि-

- (1) समस्त स्टाफ ऑफिसर, निज सचिव, निज सहायक, शीघ्र लेखक, मन्त्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल। कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- (2) अपर सचिव (स्थान) सामान्य प्रशासन विभाग मन्त्रालय, भोपाल। कृपया कडिका -७ का कडाई से पालन करने का कष्ट करें।
- (3) मुख्य लेखा अधिकारी, म०प्र०मन्त्रालय, भोपाल। कृपया उक्त निर्देश की कडिका -८ एवं -७ का कडाई से पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- (4) महा प्रबंधक, मारत संचार निगम लिं० न्यू०मार्केट भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (5) मुख्य लेखा अधिकारी (टी०आर०) भारत संचार निगम लिं० न्यू०मार्केट भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित। की ओर उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु अद्येष्ट।

सचिव
गृह (सामान्य) विभाग

प्रारूप

(क) अधिकारियों के लिए :-

दूरभाष सुविधा विच्छेद आवेदन सह प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि मंत्रालय में मेरी
के पद पर पदस्थापना के दौरान दूरभाष क्रमाक्रम
मुझे नेरे कार्यालय कक्ष/निवास ने आवंटित रहा है। स्थानांतर / सेवामुक्ति के फलस्वरूप
कार्यमुक्त होते समय मैंने निम्नलिखित कार्यवाहिना पूर्ण कर दी है:-

- (1) कार्यमुक्ति दिनांक को उपर्युक्त दूरभाष की एस०टी०डी०
सुविधा का प्रयोग बंद कर दिया गया है।
अथवा
कार्यमुक्ति दिनांक के पश्चात किए गए एस०टी०डी० काल्स
की राशि कृपया मेरे वेतन से काट ली जाए।
- (2) कार्यमुक्ति दिनांक तक प्राप्त उपर्युक्त दूरभाष के समस्त
देयकों को सत्यापित कर भुगतान हेतु लेखा शाखा मंत्रालय को भेज दिया है।
- (3) निजी काल्स की समस्त राशि (यदि कोई हो, तो) शासन के पक्ष में जमा कर
दी है।
- (4) दूरभाष का उपकरण दूरसंचार कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त की गई
है (छाया प्रति संलग्न)
अथवा
दूरभाष का उपकरण कार्यालयीन कक्ष में सुरक्षित स्थळवा दिया गया है।
तथा राजिस्ट्रार वल्लभ भवन को सूचित कर दिया गया है (छाया प्रति संलग्न)
कृपया उपर्युक्त दूरभाष विच्छेद करने का काष्ट करें।

मोपाल

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

पता जहां दूरभाष स्थापित था.....

निरन्तर.....

प्रारूप

(ख) माननीय मंत्रिगण के निज सचिवों के लिए—

दूरभाष सुविधा विच्छेद आवेदन सह प्रमाण—पत्र
प्रमाणित किया जाता है, कि माननीय

मंत्री / राज्यमंत्री / उपमंत्री / (अन्य विवरण) के कार्यालय
कक्ष / निवास कमांक पर दूरभाष कमांक आवंटित रहा है। माननीय मंत्री
/ राज्यमंत्री / उपमंत्री /

(अन्य विवरण) के दिनांक को
पदमुक्त होते समय मैंने उनके निज सचिव की हैसियत से उपर्युक्त दूरभाष के बारे में
निम्नलिखित कार्यवाहियों पूर्ण कर ली है :—

(1) कार्यमुक्ति दिनांक को उपर्युक्त दूरभाष की एस०टी०डी०
सुविधा का प्रयोग बंद कर दिया गया है।

अथवा

कार्यमुक्ति दिनांक के पश्चात किए गए एस०टी०डी० काल्स
की राशि कृपया मेरे वेतन से काट ली जाए।

(2) कार्यमुक्ति दिनांक तक प्राप्त उपर्युक्त दूरभाष के समस्त
देयकों को सत्यापित कर भुगतान हेतु लेखा शाखा, मंत्रालय को भेज दिया है।

(3) निजी काल्स की समस्त राशि (यदि कोई हो, तो) शासन के पक्ष में जमा कर
दी है।

(4) दूरभाष का उपकरण दूरसंचार कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त की गई
है (छाया प्रति संलग्न)

अथवा

दूरभाष का उपकरण कार्यालयीन कक्ष में सुरक्षित रखा दिया गया है।

तथा राजिस्ट्रार, वल्लभ भवन को सूचित कर दिया गया है (छाया प्रति संलग्न)

कृपया उपर्युक्त दूरभाष विच्छेद करने का कष्ट करें।

भोपाल
दिनांक.....

हस्ताक्षर
नाम.....